सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/ shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 09 – 16 अप्रैल 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या सीबीआई की गिरफ्तारी भी अन्धेरे का ही तीर है

गुड़िया प्रकरण में

शिमला/शैल। पिछले साल चार जुलाई को घटे गुड़िया गैंगरेप और फिर हत्या तथा शिमला पुलिस द्वारा इस प्रकरण में पकड़े गये कथित आरोपियों में से एक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाने का मामला जांच के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर सरकार ने 19 जुलाई को सीबीआई को सौंपा था और 23 जुलाई को सीबीआई ने इसे अपने हाथों में ले लिया था। मामला हाथ मे लेने के बाद सीबीआई ने सबसे पहले इस मामले की जांच कर रही प्रदेश पुलिस की एसआईटी को इसके मुखिया सहित आठ पुलिस कर्मीयों को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद शिमला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। यह सभी लोग अब तक पुलिस की हिरासत में ही चल रहे है। एसआईटी के लोगों के खिलाफ चालान भी दायर हो चुका है लेकिन गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अभी तक चालान दायर नही हो पाया है। इस प्रकरण में जिन लोगों को स्टेट पुलिस की एसआईटी ने गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ चालान दायर न हो पाने के कारण अदालत ने उन्हे छोड़ दिया है।

जब सीबीआई ने इस प्रकरण में स्टेट एसआईटी के लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ चालान भी दायर कर दिया। उसके बाद सीबीआई से मूल प्रकरण गुड़िया मामले को लेकर अदालत से सड़क तक सवाल पूछे जाने लगे। सीबीआई के खिलाफ भी प्रदर्शन हो गये। उच्च न्यायालय बराबर स्टेट्स रिपोर्ट तलब करता रहा। जब सीबीआई इसमें कोई परिणाम नही दिखा पायी तब अदालत ने इनके निदेशक को ही अदालत में तलब करने और मामले की जांच सीबीआई से लेकर एनआईए को देने का तंज भी कस दिया। इस तरह जब सीबीआई को उच्च न्यायालय से ऐसी लताड़ मिली उसके बाद इसमें यह पहली गिरफ्तारी हुई है।

सीबीआई ने अधिकारिक तौर पर यह गिरफ्तारी होने का दावा किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में भी पेश किया हैं लेकिन गिरफ्तार व्यक्ति का नाम क्या है वह कहां का रहने वाला हैं इस प्रकरण में उसकी संलिप्तता क्या और कितनी है इस बारे में कोई जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता को नही दी है जबकि अदालत को तो दी ही गयी है क्योंकि यह कानूनी बाध्यता है। यह कांड चार जुलाई को घटा था और 23 को सीबीआई ने अपने हाथ में भी ले लिया था। 4 जुलाई से 23 जुलाई तक इस मामले में छः लोग पकड़े गये थे जिनमें से एक की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गयी थी। कोटखाई और ठियोग पुलिस थानो को आन्दोलनकारियों ने काफी नुकसान तक पहुंचाया था क्योंकि इस प्रकरण में सबसे पहले जिन लोगों के फोटो मुख्यमन्त्री के अधिकारिक फेसबुक पेज पर लोड़ होकर वायरल हो गये थे और फिर फेसबुक से हटा दिया गया था और एसआईटी द्वारा पकड़े गये लोगों में इनमें से कोई भी नही था तब एसआईटी पर यह आरोप लगा था कि वह असली गुनाहगारों को बचा रही है। यही आरोप जनता के आक्रोश का मुद्दा बना था। जिस पर न केवल हिमाचल में ही बल्कि प्रदेश से बाहर भी कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे। विधानसभा चुनावों में भाजपा सहित पूरे विपक्ष ने इसे एक मुख्य मुद्दा बनाकर उछाला था। सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया गया था। सोशल मीडिया में सरकार से लेकर अदालत तक पर अपरोक्ष मे आरोप लगाये जाते रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में अब जब सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है तो इससे पहले असली गुनाहगारों को बचाने के लग रहे आरोपों से तो क्लीनचिट मिल जाती है क्योंकि जिसे गिरफ्तार किया गया है वह स्थानीय क्षेत्र का निवासी नही है। बड़ा भंगाल साईट का चिरानी है जो कि चिरानी ठेकेदार केवलराम के पास काम कर रहा था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जब कांड घटा था तब यह लोग उसी क्षेत्र में चिरान का काम कर रहे थे जिस रास्ते से गुज़र कर गुड़िया स्कूल जाती थी। सीबीआई ने अपनी जांच में हर उस व्यक्ति पर अपना फोकस किया है जो उस दौरान किसी न किसी कारण से उस क्षेत्र में मौजूद रहा है। इस एरिया में पिछले कई वर्षो से चिरान का काम चल रहा है। बड़े ठेकेदार वन निगम से चिरान का ठेका लेकर आगे लेबर के ठेकेदार को काम दे देते हैं लेकिन इन ठेकेदारों के पास कितनी लेबर स्थायी थी और कितनी अस्थायी इसकी जानकारी अभी पूरी सामने नही आई है। सीबीआई ने सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आदमी और उसका एक साथी मुम्बई तक जा पहुंचे थे। सीबीआई ने मुंबई तक छापेमारी की है। इस आदमी को भी मण्डी साईड से पकड़ा गया माना जा रहा है। पकड़े गये व्यक्ति के बारे में जो भी जानकारी सामने आयी है उससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि इसे बचाने के लिये पुलिस पर किसी का भी किसी तरह का दबाव नहीं रहा होगा।

लेकिन इस गिरफ्तारी से कई सवाल और उठ रहे है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जब यह लोग स्थानीय है ही नही तो फिर इन्होने रेप के बाद गुड़िया की हत्या क्यों की? यह लोग रेप के बाद भाग सकते थे इन्हे हत्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा सवाल है कि जब गुड़िया की हत्या के बाद इस मामले में जनता का आक्रोश सड़को पर आ गया था तब भी यह लोग भागे नही और न ही किसी तरह का सन्देह इन लोगों पर हो पाया ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर या तो अपराधी किसी ऐसी जगह पर चला जाता है जहां किसी की पकड़ मे न आये या फिर अपराध के स्थल और उसकी जांच को लेकर सक्रियता दिखाता है जैसा कि युग हत्याकांड में हुआ था। इस परिदृश्य में सीबीआई की इस गिरफ्तारी को लेकर भी यह शंका उठ रही है कि कहीं अब भी अदालत की लताड़ के कारण अन्धेरे में ही तो तीर नहीं चलाया जा रहा है।

एचपीसीए प्रकरण होगा जयराम के लिये कड़ी राजनीतिक परीक्षा

शिमला/शैल। जयराम सरकार एचपीसीए के खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीति से प्रेरित करार दे रही है और इसी आधार पर इन्हे वापिस लेने की बात कर रही है। इस कड़ी के इस प्रकरण में नामज़द दो अधिकारियों दीपक सनान और अजय शर्मा के खिलाफ मुकद्दमा वापिस लेने की अनुमति भी दी जा रही है। संयोगवश एचपीसीए का एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित चल रहा है। स्मरणीय है कि जब वीरभद्र सरकार ने एचपीसीए की लीज़ कैन्सिल करके आधी रात को एचपीसीए की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। उस समय एचपीसीए ने सरकार के इस कदम को अदालत में चुनौती दी थी और इसमे वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत तौर पर नामित कर दिया था। उस समय एचपीसीए को सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय को एचपीसीए की याचिकाओं पर पुनः विचार करने तथा इन्हे अपना पक्ष रखने का मौका देने की बात कही थी। एचपीसीए ने उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसायटीज़ आरडी नज़ीम को भी व्यक्तिगत तौर पर पार्टी बनाने की गुहार लगायी थी। इस तरह सरकार ने अदालत में चल रही कारवाई के दौरान ही लीज़ रद्द करने का फैसला वापिस ले लिया था। इससे एचपीसीए की अपनी संपत्तियां तो वापिस मिल गयी लेकिन वीरभद्र सिंह का नाम प्रतिवादियों की सूची में आज तक चलता आ रहा है।

अब जब वीरभद्र सिंह व्यक्तिगत तौर पर इसमें प्रतिवादी चल रहे हैं तब उनके पास इस मामले में अपना पक्ष रखने का हक हासिल हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय कई मामलों में यह स्पश्ट कह चुका है कि एक बार मुकद्दमा चलाने के लिये दी गयी अनुमति पर न तो पुनः विचार किया जा सकता है और न ही उसे वापिस लिया जा सकता है। इस समय यह पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसे मोड़ उपर पहुंचा हुआ है कि यदि इसमें वीरभद्र सही में गंभीरता दिखायेंगे तो इसका फैसला गुणदोष के आधार पर होकर ही रहेगा क्योंकि इस मामले के चालान में जो तथ्य रिकार्ड पर आ चुके हैं उन्हे नज़रअन्दाज कर पाना आसान नही होगा।

स्मरणीय है कि एचपीसीए को वर्ष 2002 में 49118.25 वर्ग मीटर भूमि लीज़ पर दी गयी थी। उसके बाद 2009 में 3.28 हैक्टेयर ज़मीन लीज़ पर गयी। लेकिन 1993 और 1998 के लीज़ रूल्ज़ के तहत किसी भी खेल संघ को दो वीघा से अधिक ज़मीन देने का कोई प्रावधान ही नही था। लीज़ रूल्ज़ में 2012 में संशोधन किया गया और इसमें ज़मीन देने की कोई सीमा तय नही की गयी। यह नियम सचिव स्तर पर ही मन्त्री परिषद् की अनुमति के बिना ही संशोधित कर दिये गये। इस संशोधन को भी कानून विभाग ने अनुमोदित नही किया था क्योंकि 28.1.11 को सर्वोच्च न्यायालय ने जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में कामन लैण्ड के आंवटन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किये हैं और उन्हे समय - समय पर इस संद्धर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित रखने को भी कहा है। फिर यदि 2012 के संशोधन को सही भी मान लिया जाये तो भी उसे 2002 और 2009 से लागू नही किया जा सकता।

इसी तरह चालान में एक यह भी आरोप है कि मन्त्री परिषद् ने एचपीसीए को ज़मीन अपनी 27.5.2002 की बैठक में दे दी। लेकिन यह ज़मीन लीज़ पर लेने के लिये आवेदन 1.6.2002 को आया। लीज़ एक रूपये पर दी गयी जबकि रेट के लिये एचपीसीए की ओर से कोई आवेदन ही नही आया। इसलिये आज वीरभद्र सिंह के पास यह सारे तथ्य नये सिरे से अदालत के सामने लाने का मौका है। सर्वोच्च न्यायालय में वीरभद्र की ओर से पी चिदाम्बरम और अनुप जॉर्ज के पेश होने की संभावना है। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि यदि विजिलैन्स ने अपनी ओर से ही बिना साक्ष्यों के इतना बड़ा झूठा मामला खड़ा कर दिया है तो उनके खिलाफ भी सरकार और अदालत को कड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा।

सुकेती जीवाश्म पार्क को पर्यटन गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले में सुकेती जीवाश्म पार्क को एशियन विकास बैंक की सहायता से पर्यटन गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पार्क के विकास के लिए किसी भी निजी निवेश को स्वीकार करेगी।

वह नागल सुकेती में संग्रहालय तथा जीवाश्म पार्क को दौरा करने के उपरान्त जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने यह पार्क प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार द्वारा उठाया गया कदम था और यह पार्क एशिया का पहला जीवश्म पार्क है। उन्होंने कहा कि पार्क को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा तथा राज्य सरकार द्वारा इसके लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि पार्क का भ्रमण करने वाले सेलानियों की सुविधा के लिए जीवाश्म पार्क की ओर जाने वाली सड़क का शीघ्र विस्तार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए और अधिक जलापूर्ति प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सुकेती गांव के लिए टयूबवैल भी स्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि कालाअम्ब में ईएसआई अस्पताल खोलने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया जाएगा। उन्होंने मार्कण्डेय नदी के तटीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए हैं और वह राज्य सरकार की उपलब्धियों से सन्तुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्तमान बजट में राज्य के लोगों के लिए 30 नई कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का एक मात्र उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास सुनिश्चित करना तथा समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण सुनिश्चित बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बड़े-बड़े दावे करने पर नहीं, बल्कि काम करने पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में प्रत्येक के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास के लिए हर सम्भव सहायता सुनिश्चित करेगी। उन्होंने लोगों से 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कालाअम्ब पंचायत तथा साडा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का भी शुभारम्भ किया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने 3.80 करोड़ रुपये की लागत से कालाअम्ब में निर्मित होने वाली अग्निशमन चौकी के भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 10.74 करोड़ रुपये की लागत से त्रिलोकपुर- कालाअम्ब- सुकेती- बिक्रमबाग सड़क के सुदृढ़ीकरण की भी आधारशिला रखी।

विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि जीवाश्म पार्क देश के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पार्क की ओर जाने वाली सड़क को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुकेती में त्रिलोकपुर -कालाअम्ब- सुकेती- बिक्रमबाग सड़क का समय से पूर्व निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

डॉ. बिन्दल ने जीवाश्म पार्क के लिए सम्पर्क मार्ग के विकास के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मार्कण्डेय नदी वर्षा ऋतु के दौरान तबाही मचाती है तथा नदी के तटीकरण और नदी पर बांध के निर्माण का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से कालाअम्ब पंचायत के लोगों के लिए पर्याप्त पेयजल सुविधा प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कालाअम्ब में ईएसआई अस्पताल प्रदान करने का आग्रह भी किया।

इस अवसर पर पार्क के निदेशक डॉ. रतीश चन्देल ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने जीवाश्म पार्क से संबंधित पावर प्वाईट प्रस्तुति भी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस पार्क में प्रतिदिन लगभग 1500 व्यक्ति, शोधकर्ता तथा जीवन-विकास में रूचि रखने वाले लोग आते हैं।

स्वास्थ्य संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत 3 लाख मरीजों का उपचार: स्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को गुणात्मक चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य में अभी तक तीन लाख मरीजों का उपचार किया गया है और इस पर 166.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। योजना में 80 वर्ष आयुवर्ग से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के अलावा एकल नारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका, मिड-डे-मील कार्यकर्ता, अंशकालीन कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अनुबंध कर्मचारियों तथा 70 प्रतिशत से अधिक की विकलांगता वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है। योजना में उन श्रेणियों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत 1.05 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। योजना को चिकित्सा वायदा आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 8000 मरीजों को 6.25 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है। विपिन परमार ने कहा कि राज्य में 5.36 लाख परिवार जो स्वास्थ्य बीमा, संरक्षण अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है, को हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक संरक्षण स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है ताकि इन परिवारों को बुनियादी एवं सघन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले परिवार को 365 रुपये सालाना यानि एक रुपया प्रतिदिन देना होगा। योजना के अंतर्गत 5 लाख परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य है जिसमें से 41260 परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है तथा नामांकन प्रक्रिया जारी है।

योजना के तहत आम बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये तथा गंभीर बीमारियों के लिए 1.75 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा छत्र प्रदान किया जा रहा है। कैंसर उपचार के लिए इसकी सीमा 2.25 लाख रुपये सालाना की है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा आरम्भ की गई है। स्मार्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए 365 रुपये का ऑनलाइन प्रीमियम का भुगतान कर नामांकन केन्द्र में बायोमीट्रिक तथा फोटोग्राफ इत्यादि उपलब्ध करवाने होंगे। योजना के अंतर्गत 1200 रोगियों को 60 लाख से अधिक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जा चुका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को जिक्र करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत बीपीएल मनरेगा कामगार भवन एवं सन्निर्माण कामगार, रेहड़ी व फड़ी, सफाई कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाले, ऑटोरिक्शा, टैक्सी चालक तथा हस्त बुनकरों को शामिल किया गया है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत 4,83,643 स्मार्ट कार्ड धारक परिवारों को शामिल किया गया है, जो 30 सितम्बर, 2018 तक कैशलेस उपचार सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होने कहा कि योजना के अंतर्गत 2.80 लाख मरीजों को 160 करोड़ रुपये का कैशलेस उपचार प्रदान किया गया है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HP.PWD Division Dharampur, Distt. Mandi H.P on behalf of Governor of H.P invites the item rates bids, in electronic tendering system, for construction of each of the following works from the eligible and approved contractors registered with HP.PWD.

Job No. Name of Work	Estimated Cost (In lacs.)	EMD (In Rs.)	Cost of Tender form (In Rs.)	Time Limit
C/o HPPWD Rest House at Tihra in Tehsil: Dharampur Distt: Mandi (SH: Wooden Shutters, Plastering flooring, painting works and WS & SI works).	17,12,256/-	34,000/-	500/-	Three months

2. **Date of release of Invitation for Bids through e-procurement:** 16.04.2018
3. Cost of Bid Form: Shown against each (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer Dharampur Division HP.PWD., Dharampur.
4. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website **http://hptenders.gov.in** bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: http://hptenders.gov.in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
* Non-registered bidders may submit bids, however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract
5. Submission of Original Documents: The earnest money in the approved from duly pledged in the name of executive engineer concerned. The cost of tender form in the shape of Demand Draft payable to the Executive Engineer concerned. The above two documents shall be submitted by the contractor on the date of opening of the bid failing which tender will not be opened.
6. Last Date/ Time for receipt of bids through e-tendering: 07.05.2018. up-to 11.00 AM.
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website **http://hptenders.gov.in .** The bids shall be opened on **07.05.2018 at 11.30 AM** hrs in the office Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur H.P. by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to electronic system failure beyond the control of office . Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-0092/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

H.P P W D NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on the form 6&8 are invited by the Executive Engineer, Dharampur Division, HPPWD Dharmpur on behalf of Governor of HP for the following works from the approved and eligible contractor enlisted in HPPWD.

TENDER SCHEDULE:

1. Date and time of receipt of application for the tender form :	**04.05.2018 upto 4.00PM**
2. Date and time of issue of tender form :	**05.05.2018 upto 4.00 PM**
3. Date and time of receipt of tenders:	**07.05.2018 upto 11.00AM**
4. Date and time of opening of tenders:	**07.05.2018 upto 11.30 AM**

The tender form will be issued against cash payment (non refundable), the earnest money in the shape of NSC/FDR/Deposit at call of any Post Office/Bank in H.P duly pledged in the name of the Executive Engineer, Dharampur Division, HPPWD Dharampur must accompany with each tender. Conditional tender and tender received without earnest money will summarily be rejected.

Job No. Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time
1. C/O link road from Shaheed Captian Sameer Katwal road Km 0/0 to 0/600 (SH:-C/O RCC slab culvert at RD 0/300)	4,27,786/-	9000/-	Three months
2. C/O Baroti Rakhrera Kandapattan road Km 0/0 to 4/500. (SH:-C/O 3.00 Mtrs Span slab culvert at RD 5/500)	4,52,085/-	9000/-	Three months
3. C/O Thaplehra Baroti via Rakhera Lavanpur road Km 0/0 to 2/0. (SH:-C/O 900 mm dia RCC hume pipe culvert at various RD'S 1/850 & 1/900)	2,75,550/-	9000/-	Two months
4. A/R & M/O On Longani to Sari Road Km 0/0 to 6/210 (SH:-C/O 900mm dia RCC hume pipe culvret at RD 4/900	1,19,612/-	2500/-	Two months
5. C/O Bari to Kaltri road Km 0/000 to 2/000 (SH:-Providing and laying WBM G-II and 20 mm thick premix carpet 1/00 ot 2/000).	9,15,801/-	18500/-	Two months
6. C/O Morla to Kumakher road Km 0/000 to 2/000 (SH:-Providing and laying WBM G-I in KM 0/00 to 2/00).	6,73,756/-	14000/-	Two months
7. C/O Morla to Kumakher road Km 0/000 to 2/000 (SH:-Providing and laying WBM G-II. and 20 mm thick premix carpet 0/00 ot 1/000).	9,15,801/-	18500/-	Two months
8. C/O Morla to Kumakher road Km 0/000 to 2/000 (SH:-Providing and laying WBM G-II. and 20 mm thick premix carpet 1/00 ot 2/000).	9,15,801/-	18500/-	Two months
9. C/O Kun to Kamlah road Via Tour Khola KM 0/000 to 7/105.(SH :- Formation cutting 5/7 mtrs wide in KM 6/300 to 6/375)	8,03,970/-	17000/-	Two months
10. C/o Sanour to Anshwai via Kalun Kaphai road Km 0/0 to 9/00 (SH: P/L WBM G-I in Km 1/00 to 2/00).	3,50,167/-	7500/-	Three months

Terms and Conditions:-
i) The contractors/firms should posses the following documents at the time of application (Photocopy to be attached):- i) Latest renewal of enlistment. (ii) PAN (Permanent Account No.), (iii) Registration under HP General Sales Tax Act, 1968 (TIN No.), (iv) Copy of EPF Number, (v) Owned/Hired documentary proof of the machinery required for the work. Vi) Cost of tender, vii) Earnest Money.
1. The Contractors/firms are required to quote their rates both in figures and words, failing which under-signed reserve the right to accept/reject any or all tenders without assigning any reasons.
2. 1% cess charges on the amount of work awarded will be recovered from the contractor and the contractor has to get registered with Labour Officer-cum-Registering Officer-cum- Cess Collector within one month from the issue of the award letter.
3. The contractor will give affidavit that he has not two or more works in hand for execution, failing which the application shall be rejected.
4. The offer of the tender shall remain valid upto 120days after the opening.
5. The Executive Engineer reserves the right to reject/cancel any or all the tenders without assigning any reason(s).

Adv. No.-0160/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

'न्यू इण्डिया' के निर्माण में युवा पेशेवरों की महत्वपूर्ण भूमिका

शिमला/शैल। 'न्यू इण्डिया' के निर्माण में राष्ट्र को युवा पेशेवरों से बड़ी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में भारतीय प्रबन्धन संस्थान के द्वितीय दीक्षान्त समारोह के अवसर पर सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधोसंरचना को लेकर संस्थान की कुछ सीमाएं हो सकती है, लेकिन संस्थान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थी हमेशा ही संस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के संस्मरणों को संजोकर रखेंगे। उन्होंने संस्थान से पास हुए विद्यार्थियों को राज्य के एम्बेस्डर के रूप में कार्य करने का आग्रह करते हुए कहा कि जब कभी भी उन्हें मौका मिले, राज्य की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति तथा खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जय राम ठाकुर ने संस्थान से निकलने वाले विद्यार्थियों से देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने के लिए अपने अभिभावकों की कुर्बानियों को याद रखने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अध्यापक भी राष्ट्र के भविष्य के वास्तविक निर्माता हैं, और उन्हें उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने मूल्यों, संस्कृति तथा परम्पराओं को कायम रखने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने संस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को मेडल प्रदान किए।

मुख्यमंत्री ने पदमनाभ अधिकारी को स्वर्ण पदक प्रदान किया। सोमया दीपदास को उत्कृष्ट ऑल-राउण्ड विद्यार्थी का पुरस्कार प्रदान किया गया। आरूषी सिंह को निदेशक विशेष का पुरस्कार प्रदान किया गया।

आई आई एम सिरमौर की शासकीय परिषद के अध्यक्ष अजय एस. श्रीराम ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का दीक्षान्त समारोह में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति गुणात्मक उच्च शिक्षा प्रदान करने की ओर सरकार की गम्भीरता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से 35 विद्यार्थियों ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि संस्थान अपनी आरम्भिक अवस्था में है, लेकिन संस्थान ने देश के उत्कृष्ट संस्थानों में जगह पाई है। उन्होंने कहा कि बिना मूल्य की शिक्षा अर्थ विहीन है और कहा कि मूल्य समाज की निष्काम सेवा से आते हैं। उन्होंने कहा कि मूल्य प्रणाली प्रतिबद्धता तथा प्रेरणा पर आधारित हैं और इससे संस्थान महान बनते हैं।

आईआईएम सिरमौर की निदेशक डॉ. नीलू रोहमित्र ने संस्थान की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि संस्थान आधुनिक युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिभाओं को तैयार करने के वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि संस्थान उच्च शिक्षा युक्त संकाय तथा देश के कुछ चुनिंदा अतिथि संकाय के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक वर्ष संस्थान द्वारा मुख्य नई पहलों को लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि संस्थान में अनेक कार्यशालाओं तथा सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें जाने-माने विशेषज्ञों ने भाग लिया तथा विद्यार्थियों से अपने विचार सांझा किए।

राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नाहन में कालाअम्ब औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के पास भौगोलिक बाधाओं के चलते औद्योगिकरण के लिए सीमित भूमि है। इसके बावजूद प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कनेक्टिविटी विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण पर मुख्य रूप से बल दे रही है। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. युग के बाद देश में औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ है। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई पहल आरम्भ करने में पीछे नहीं रहेगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि छोटे तथा मझोले उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर मौजूद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए मौजूदा 4 प्रतिशत विद्युत शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है तथा मध्यम इकाइयों के लिए यह शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है। सभी नई लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए बिजली शुल्क में पांच वर्षों के लिए छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्लाटों को पट्टे पर देने की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 90 वर्ष किया गया है। उन्होंने कहा कि एकल खिड़की अनुमोदन एवं अनुश्रवण प्राधिकरण ने 456.43 करेड़ रुपये के निवेश की 17 औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये स्वीकृति प्रदान की है, जो 1650 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के उद्योगपति राज्य के 'ब्राण्ड एम्बेस्डर्ज' हैं और उनसे अन्य निवेशकों को राज्य में निवेश के लिये प्रेरित करने का आग्रह किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि काला अंब तथा सुकेती क्षेत्रों को न केवल औद्योगिक दृष्टि से, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने की काफी गुंजाईश है। सीआईआई, फार्मा इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन तथा लघु उद्योग भारती सहित विभिन्न संगठनों ने हिमाचल नम्बर वाले हल्के वाहनों को प्रवेश नाकों पर शुल्क में छूट प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर उद्योगपतियों की विभिन्न मांगे भी सूचीबद्ध की।

साहसिक खेलों को दिया जाएगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के अनछुए गंतव्यों में पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास करेगी। वह 7वीं हीरो एमटीबी हिमालय-शिमला एडिशन-2018 के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। जय राम ठाकुर ने कहा कि माउंटेन बाइकिंग विश्व का राजस्व सृजित करने वाला सबसे बड़ा साहसिक खेल होने के साथ-साथ पर्यावरण मित्र भी है। हिमाचल प्रदेश में माउंटेन बाइकिंग की अपार संभावनाएं हैं और यहां बाइकिंग ट्रेक विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि माउंटेन बाइक राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र है। प्रदेश सरकार एसोसिएशन को राज्य में साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए। प्रतियोगिता में पुरूषों की डबल इवेंट श्रेणी में अंकित व आकाश ने पहला, हिरण्य व दीवान ने दूसरा और अभिषेक व डेनियल ने तीसरा स्थान हासिल किया। ओपन मास्टर सोलो प्रतियोगिता में पॉल पहले, सुनील दूसरे व थ मस बुश तीसरे स्थान पर रहे। पुरुषों की ओपन सोलो प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार डेविड कुमार, दूसरा राकेश राणा व तीसरा पुरस्कार इसाक राय ने प्राप्त किया। ओपन महिला सोलो प्रतियोगिता में साराह पहले, हैडी दूसरे व पूनम राणा तीसरे स्थान पर रहीं। विद्यार्थियों की श्रेणी में शेरपा को पहला स्थान, प्रांशुल शर्मा को दूसरा व जय कुमार को तीसरा स्थान हासिल हुआ। ओवरऑल चौम्पियन में पहले स्थान पर डेविड कुमार, दूसरे स्थान पर शेरपा और तीसरे स्थान पर राकेश राणा को पुरस्कार प्रदान किया गया।

एचआरटीसी ने राज्य में किया 50 इलैक्ट्रिक टैक्सियों का संचालन शुरू

शिमला/शैल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने पहले सौ दिनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।

परिवहन मंत्री गोविन्द ठाकुर ने कहा कि नई पहल के रूप में 50 इलैक्ट्रिक टैक्सियों का संचालन शुरू किया गया है। ये टैक्सियां शिमला, चम्बा, नाहन, धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा, कुल्लू, सुन्दरनगर, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन तथा केलंग शहरों में चलाई जा रही हैं। ये टैक्सियां शोर तथा प्रदूषण रहित हैं और राज्य में यात्रियों को उत्कृष्ट परिवहन सुविधाएं प्रदान कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक इलैक्ट्रिक टैक्सी प्रतिदिन लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल इलैक्ट्रिक टैक्सियां चलाने वाला एक मात्र राज्य है। इसके अलावा, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों के प्रति किलोमीटर संचालन आय में वृद्धि का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है।

चुनाव आयोग ने अधिसूचित किया उप-चुनाव का कार्यक्रम

शिमला/शैल। राज्य चुनाव आयोग ने ऊना जिले की नगर परिषद के वार्ड नम्बर-एक में आकस्मिक रिक्त पद के लिये चुनाव करवाने का कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की है।

आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि नामांकन पत्र 20, 21 व 23 अप्रैल, 2018 को प्रात: 11:30 बजे से सायं 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जाएंगे। छंटनी 24 अप्रैल, 2018 को की जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 26 अप्रैल को प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे के बीच वापिस ले सकता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए उन्हें आबंटित किए जाने वाले चिन्ह तैयार किए जाएंगे तथा नामांकन वापिस लेने की प्रक्रिया के उपरान्त 26 अप्रैल, 2018 को निर्धारित किए जाएंगे। मतदान केन्द्रों की सूची 20 अप्रैल, 2018 से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 6 मई, 2018 को प्रात: 7 बजे से सायं 3 बजे के बीच होगा। मतदान की स्थिति में वोटों की गिनती मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद नगर पालिका मुख्यालय में की जाएगी। गिनती पूरी होने के तुरन्त बाद चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन चुनावों में पूर्व में अद्यतन की गई मतदाता सूचियों को प्रयोग किया जाएगा। हालांकि, कोई भी पात्र मतदाता नामांकन पेपर दाखिल करने के लिए निर्धारित तिथि से 8 दिन पहले तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है। आवेदन अवकाश के दिनों में भी प्राप्त किए जाएंगे। एक पूरक सूची तैयार की जाएगी और इसे मुख्य मतदाता सूचियों में शामिल किया जाएगा।

चुनावों की प्रक्रिया 8 मई, 2018 को पूरी कर ली जाएगी।

नौणी के शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी चुनने की चुनाव प्रक्रिया पूरी

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के शिक्षक संघ की कार्यकारी समिति में नए सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है। शिक्षक संघ की नई कार्यकारिणी को चुनने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई।

विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक एचएम वर्मा, जो इस चुनाव प्रक्रिया के निर्वाचन अधिकारी थे, ने गठित कार्यकारिणी के नाम घोषित किए। नई कार्यकारिणी में डा. के.डी. शर्मा, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर को अध्यक्ष चुना गया जबकि वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डा. रमेश भारद्वाज, एसोसिएशन के नए उपाध्यक्ष बने। मृदा विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डा. सुधीर वर्मा और फल विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डा. एन सी शर्मा को क्रमश: सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर डा. सुभाष शर्मा और फोरिकल्चर में कीट विज्ञान) और डा. अमित विक्रम (प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान) और आरएचआरटीएस, मशोबरा से डा. दिनेश सिंह ठाकुर (प्रमुख वैज्ञानिक फल विज्ञान) को काउंसलरस चुना गया।

इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. के. डी. शर्मा ने सभा को सम्बोधित किया और नए कार्यकारिणी के गठन के लिए सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने सदस्यों को शैक्षणिक मानकों के सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हितों से संबंधित मुद्दों को उठाने का वादा किया। इसके अलावा, उन्होंने सदस्यों को अपने अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करने का आग्रह किया ताकि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में विश्वविद्यालय का रैंक और अच्छा हो सके।

सहायक प्रोफेसर डा. भारती कश्यप, एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के रूप में काम करेगें।

इसके अलावा, यूएचएफटीए की आम सभा भी आयोजित की गई जिसमें काउंसलरस का चुनाव भी सम्पन्न हुआ। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर से डा. सुभाष वर्मा (प्रोफेसर

मुख्यमंत्री ने नाईजीरियाई समुद्री लुटेरों के चंगुल से रिहा हिमाचली युवाओं से की बात

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नाईजिरिया में भारतीय उच्चायुक्त के माध्यम से हिमाचल के तीन युवाओं से बातचीत की, जिनका कुछ माह पूर्व नाईजीरियाई समुद्री लुटेरों द्वारा अपहरण किया गया था।

समुद्री लुटेरों के चंगुल से आजाद करवाए गए कांगड़ा जिले के सुशील कुमार, पंकज कुमार और अजय कुमार तीनों युवाओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे अपनी सुरक्षित रिहायी के प्रयासों के लिए भारत सरकार के आभारी हैं।

युवाओं ने मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का इस सम्बन्ध में उनकी चिन्ता करने तथा समुद्री लुटेरों से उनकी रिहायी का मामला पुरजोर ढंग से उपयुक्त स्तर पर उठाने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन्हें देश वापिस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

इसी बीच, जय राम ठाकुर ने हिमाचली युवाओं की सुरक्षित रिहायी के लिए केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप के लिए केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का धन्यवाद किया।

दुर्जन व्यक्तियों द्वारा संगृहीत सम्पति का उपभोग दुर्जन ही करते है। .....चाणक्य

सम्पादकीय

हादसो पर राजनीति नही कड़ा संज्ञान चाहिये

नूरपुर में एक स्कूल बस के गहरी खाई में गिर जाने से 27 लोगों की मौत हो गयी जिनमें 24 स्कूल के बच्चे थे। यह हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा इसको शब्दों में ब्यान करना संभव नही। जिन घरों के चिराग इसमें सदा के लिये बुझ गये हैं उन परिजनों को शायद ही कोई शब्द सांत्वना दे सकते है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह संतृप्त परिजनों को हिम्मत दे और जिन मायूस नन्हे फरिश्तों को असमय ही अपने पास बुला लिया है उन्हे अपने पास जगह दे। हादसे हो जाते हैं और हादसों के कारणों का पता लगाने के लिये जांच भी आदेशित की जाती है। इसमें भी जांच के आदेश हो चुके हैं लेकिन इसी के साथ इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इसे अपने हाथ में लेकर सरकार ने इस पर जवाब भी तलब कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान एक अखबार में छपी खबर के कारण लिया क्योंकि अखबार के मुताबिक श्रद्धांजलि को लेकर इसमें राजनीति हो रही थी। इसमें श्रद्धांजलि देने के लिये केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे थे। यह दोनों हादसे के दूसरे दिन सुबह पहुंचे। नड्डा शायद गगल एयरपोर्ट पर पहले पहुंच गये थे और मुख्यमन्त्री करीब एक घन्टा बाद में पहुंचे। एयरपोर्ट से इनके नूरपुर अस्पताल पहुंचने के साथ ही अस्पताल ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपे। हादसा पिछले दिन तीन चार बजे के बीच हो चुका था। हादसे की सूचना मिलने के बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू हुआ। शाम तक शव और घायल अस्पताल पहुंचा दिये गये थे। अस्पताल पहुंचने के बाद घायलों के उपचार और शवों का पोस्टमार्टम होना था।

शवों का पोस्टमार्टम कानूनी बाध्यता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद रात को पोस्टमार्टम करने की अनुमति नही है। क्योंकि रात को टयूब लाईट में खून के रंग में थोड़ा बदलाव आ जाता है, लेकिन कानून की यह शर्त उन मामलों में लागू होती है जहां पर मौत के कारणों को लेकर सन्देह व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे बस और रेल हादसों में जहां मौत का एक ही कारण दुर्घटना रही हो वहां तो पोस्टमार्टम तुरन्त करवाया जाता है। ताकि पजिनों को यथा शीघ्र शव सौंपे जा सके। इसमें रात को भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है लेकिन इस हादसे में यह पोस्टमार्टम सुबह किया गया जबकि यह रात को ही हो जाना चाहिये था। ताकि सुबह शीघ्र ही इनके अन्तिम संस्कार का प्रबन्ध हो जाता क्योंकि मृतक के प्रति श्रद्धांजलि शमशान में जाकर लकड़ी डालना माना जाता है। पीछे बचे परिजनों को तो उनके घर जाकर सांत्वना दी जाती है। लेकिन यहां पर रातभर पोस्टमार्टम का ना होना सीधे प्रशासन की समझदारी पर सवाल खड़े करता है क्योंकि प्रशासन के मुताबिक पोस्टमार्टम सुबह हुए। इसी कारण परिजनो को रातभर परेशान रहकर इन्तजार करना पड़ा और यही इन्तजार हादसे पर राजनीति की वजह बन गया। ऊपर से केन्द्रिय स्वास्थ्य मन्त्री जगत प्रकाश नड्डा का यह कहना कि उन्हे इस बारे में कोई जानकारी ही नही और यह देखना स्थानीय विधायक और प्रशासन का काम है। इस पर विधायक पठानिया ने मीडिया के सामने रखा है और अखबार ने अपने स्टैण्ड को कुछ और तथ्यों के साथ दोहराया है अब क्योंकि उच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान ले लिया है इसलिये अदालत के फैसले का इन्तजार करना ही होगा। ऐसे दर्दनाक हादसों पर भी कोई राजनीति कर सकता है यह सामान्यत: समझ से परे की बात है।

लेकिन यह हादसा जो सवाल छोड़ गया है वह अपने में गंभीर है क्योंकि स्थानीय विधायक ने एनडीआरएफ की टीम के व्यवहार को लेकर जो खुलासा किया है वह प्रशासन को कठघरे में खड़ा करता है। दूसरा केन्द्रिय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के एयरपोर्ट पर पहुंचने में एक घन्टे का अन्तर रहना फिर प्रशासन की आपसी कमजोरी को दर्शाता है। जबकि कायदे से दोनो नेताओं को लगभग एक ही समय में पहुंचना चाहिये था यह तालमेल मुख्यमन्त्री कार्यालय और जिला प्रशासन को देखना था। इसी के साथ प्रशासन को इसकी समझ न होना कि कब रात को पोस्टमार्टम नही होता है यह प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह है। हादसे के कारणों की जांच चल रही है उम्मीद है कि इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से आम आदमी के सामने रखा जायेगा ताकि हर आदमी अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव सरकार तक पहुंचा पाये।

कश्मीरी पंडितों की समस्या

भले ही, कश्मीरी यह महसूस करें या नहीं, उन्होंने शिक्षित लोगों की सेवाएं गंवा दी है। पंडित भारत के दूसरे हिस्सों में चले गए और अपनी ऊंची डिग्रियों के कारण नौकरियां हासिल की हैं। अगर राज्य उन्हें बराबर की नौकरी का आफर भी देता है तो उनके वापस लौटने की संभावना नहीं हैं। वास्तव में, कश्मीर ने सबसे अच्छे युवाओं को खो दिया है जो राज्य के आर्थिक विकास में मदद करने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम थे। फिर भी, श्रीनगर को पंडितों को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अपनी सेकुलर छवि बनाने में मदद मिलेगी, जिस तरह की छवि दशकों तक उनकी थी। ''कुलदीप नैयर''

मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को अपने जन्मस्थान यानि घाटी आना चाहिए। उनका बयान घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। पंडितों को 1993 में कश्मीर से जबर्दस्ती बाहर कर दिया गया। उनका दोष सिर्फ इतना था कि 90 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाली घाटी में वे हिंदू थे।

पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक सार्वजनिक बयान में स्वीकार किया है कि एक भी मुसलमान ने उनके बाहर किए जाने का विरोध नहीं किया। वास्तव में, यह सच है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद जम्मू तथा कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। यह आरोप लगाया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को बाहर भगाने के लिए उस समय के राज्यपाल जगमोहन मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। उन्हें जिस दिन गवर्नर बनाया गया, उनके हिंदू समर्थक रवैये के कारण कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

यह आरोप लगाया गया कि जब सैकड़ों उग्रवादियों के पास हथियार मिला तो सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के हर घर की तलाशी ली। ज्यादातर उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऑपरेशन, जिसके कारण गौकाडाल नरसंहार हुआ, के दौरान गर्वनर की भूमिका पर सवाल उठाया जाने लगा। जगमोहन, जो संजय गांधी के काफी करीब थे, सौंदर्यीकरण के नाम पर दिल्ली की कई गंदी बस्तियों के जबर्दस्ती उजाड़े जाने में शामिल थे। उग्रवाद के उभार के दौरान कट्टरपंथी मुसलमानों और उग्रवादियों की ओर से सताए और धमकाए जाने के कारण 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन करना शुरू कर दिया। कश्मीर सरकार ने 2010 में पाया कि घाटी में अभी भी 808 पंडित परिवार रह रहे थे, लेकिन वित्तीय तथा दूसरी सहूलियतों के जरिए बाकी परिवारों को वापस लाने में कोई सफलता नहीं मिली।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 1989 और 2004 के बीच 219 पंडित मारे गए, लेकिन इसके बाद एक भी नहीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जम्मू तथा कश्मीर में 1989 में समुदाय के 700 लोगों की हत्या के मुकदमे को फिर से खोलने से इस आधार पर मना कर दिया कि काफी समय बीत चुका है।

मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती की अभी की अपील सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। कश्मीरी पंडितों से दिल्ली में मिलने के बाद, उन्होंने कहा कि ''कश्मीरी पंडितों को कश्मीर आना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को मालूम हो सके कि उनकी जडें कहां हैं। हम हर इंतजाम करेंगे। अतीत में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है।''

वास्तव में, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लें और पाकिस्तान से बातचीत शुरू करें। ''मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करती हूं कि वह पाकिस्तान से बाचीत करें जैसा वाजपेयी जी ने किया था। न हम और न ही पाकिस्तान, युद्ध करने की स्थिति में हैं। दोनों देशों को मालूम है कि अगर युद्ध हुआ तो कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों देश बस अपना सब कुछ गंवा देंगे। मेहबूबा ने कहा।

मैं उनसे सहमत हूं क्योंकि यह हिंदू-मुस्लिम का सवाल नहीं है और इसे ऐसा बनाना भी नहीं चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को ऐसे कदम शुरू करने चाहिए जिससे पंडितों का घाटी लौटना संभव हो सके। उनकी ज्यादातर संपत्ति रखी हुई है। बाकी भी उन लोगों से वापस ली जा सकती है जिन्होंने इस पर जबर्दस्ती या दूसरे तरीकों से कब्जा कर लिया है।

मुझे याद है कि हुर्रियत नेता अहमद शाह गिलानी इसके हिंदू-मुस्लिम सवाल होने की बात से जोर से इंकार करते थे। उस समय, कट्टरपंथ के कीड़े ने गिलानी को नहीं काटा था। संभव है कि उन्होंने अपने विचार नहीं बदले हों। लेकिन उनकी चुप्पी साफ दिखाई देती है। उन्हें अपनी पहले की राय को फिर से कहना चाहिए था कि कश्मारी पंडित इस संस्कृति के हिस्सा हैं और इसे हिंदू-मुस्लिम के सामान्य सवाल से नहीं जोड़ना चाहिए। वास्तव में, गिलानी ने मुझसे कहा कि उन्होंने पहले गलत कहा था कि कश्मीर विवाद के हल होने के साथ ही कश्मीरी पंडितों का सवाल हल हो जाएगा।

लेकिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गैर-जरूरी ढंग से उन लोगों को मौका दे दिया है जो दलील देते हैं कि कश्मीर भारत-पाकिस्तान के बंटवारे का एक बचा हुआ काम है। वे राज्य का मजहब के आधार पर बंटवारा चाहते हैं। वे किसी जगह पाकिस्तान में भी इस पर जोर देंगे कि मजहब वाला पैमाना-जिस आधार पर भारत का बंटवारा हुआ-जम्मू तथा कश्मीर पर भी लागू हो।

कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने यह विचार रखा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए अलग क्षेत्र रहे जहां वे सुरक्षा से रह सकें। बताया जाता है कि अभी घाटी में 30 हजार पंडित हैं, जबकि उनकी कुल संख्या चार लाख के आसपास है। कश्मीर के मामलों में जब तक शेख अब्दुल्ला प्रभावी थे, उन्होंने राजनीति में धर्म को नहीं लाने दिया। वह कहते थे कि उन्होंने पाकिस्तान में मिलाने का इसलिए विरोध किया था कि जम्मू तथा कश्मीर एक सेकुलर राज्य है। वह एक इस्लामिक राज्य में जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें सांप्रदायिकता की जगह विविधता पसंद थी।

यहां तक कि आजादी के आंदोलन के समय भी शेख कश्मीर के साथ रहे, मुसलमानों के लिए अलग राज्य मांगने वाली मुस्लिम लीग के साथ नहीं। उन्हें केन्द्र को मजबूत रखने की नई दिल्ली की नीतियों की आलोचना की कीमत देनी पड़ी। दक्षिण में कोडईकैनाल में 12 साल हिरासत में रहने के बाद वह प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के आवास पर ठहरे ताकि वह दर्ज करा सकें कि बंटवारे के समय तय हुए सिर्फ तीन क्षेत्रें-विदेशी मामले, संचार तथा रक्षा को ही केन्द्र की ओर से संचालित करने को लेकर उनकी मांग के कारण शेख को गलत समझने की चूक नेहरू ने मान ली है।

शेख का मशहूर बयान है कि कश्मीरी भारत का गेहूं नहीं खाएगा, अगर इससे उसे अपनी स्वायत्तता से समझौता करना पड़ता है। सेकुलरिज्म में शेख का गहरा विश्वास था, हालांकि उन्हें शक था कि भारत लंबे समय तक विविधतावादी रहेगा।

भले ही, कश्मीरी यह महसूस करें या नहीं, उन्होंने शिक्षित लोगों की सेवाएं गंवा दी है। पंडित भारत के दूसरे हिस्सों में चले गए और अपनी ऊंची डिग्रियों के कारण नौकरियां हासिल की हैं। अगर राज्य उन्हें बराबर की नौकरी का आफर भी देता है तो उनके वापस लौटने की संभावना नहीं हैं। वास्तव में, कश्मीर ने सबसे अच्छे युवाओं को खो दिया है जो राज्य के आर्थिक विकास में मदद करने के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम थे। फिर भी, श्रीनगर को पंडितों को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें अपनी सेकुलर छवि बनाने में मदद मिलेगी, जिस तरह की छवि दशकों तक उनकी थी। इस मोर्चे पर कोशिश की कमी देश के बाकी हिस्सों से उनका अलगाव पैदा करेगा जहां कश्मीरियों को अच्छी नौकरी मिलती है।

जल– अमृत या विष

शोधकर्त्ता एवं लेखक : डॉ. परमेश्वर अरोड़ा
एम.डी. – आयुर्वेद (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), गोल्ड मेडलिस्ट
सीनियर कंसलटेंट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली

जरूरत से अधिक जल का सेवन हो सकता है आपकी सेहत के लिये घातक

आज जंहा सम्पूर्ण विश्व स्वास्थ्य लाभ के लिये अधिक से अधिक जल पीने की वकालत कर रहा है वहीं अपने पौराणिक वेदों एवं आयुर्वेद का विस्तार से अध्ययन करने पर बहुत ही हैरान कर देने वाला तथ्य सामने आता है। सभी शास्त्र एकमत होकर अच्छे स्वास्थ्य के लिये किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में ही जल पीने का निर्देश देते हैं। साथ ही अनेकों ऐसे रोग भी हैं जहां जल सेवन को निषेध करते हुए असहनीय होने पर ही जल अल्प मात्रा में पीने का विधान बतलाया गया है। स्पष्ट है कि जल सेवन को लेकर आधुनिक विचार एवं शास्त्रोक्त निर्देशो में विरोधाभास देखने को मिलता है।

आजकल कहा जाता है कि यदि पेट की बीमारियों जैसे कब्ज, एसिडीटी एंव गैस आदि को ठीक करना है तो खूब पानी पियो, शरीर विशुद्धिकरण करना है तो खूब पानी पियो, पेशाब में जलन होती हो तो खूब पानी पियो, मोटापा कम करना है तो खूब पानी पियो। लेकिन इन परिस्थितियों में अपनी शक्ति एंव जरूरत से बढ़ाकर पिया गया पानी कैसे मद्द करता है इसकी कोई वैज्ञानिक विवेचना पढ़ने या सुनने को नही मिल पाती।

इसके विपरीत, आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार इन परिस्थितियों में जल का अधिक मात्रा में सेवन शरीर को लाभ नहीं बल्कि नुकसान पंहुचाता है। जैसे पेट के सभी कब्ज, एसिडिटी इत्यादि पाचक अग्नि की मंदता के कारण उत्पन्न होते हैं। अत: इन रोगों में पाचक अग्नि को बढ़ा कर ही इन रोगों से पूर्ण मुक्ति पायी जा सकती है। ऐसे में अग्नि के प्रबल विरोधी जल का अत्याधिक प्रयोग, कैसे हमारे अग्नि बल को बढ़ायेगा और कैसे हमें इन बीमारियों से मुक्ति दिलायेगा, समझ से परे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन रोगों में क्षणिक लाभ के लिये लिया गया अत्यधिक पानी भी पेट के इन सामान्य रोगों को भी कभी ना ठीक होने वाले असाध्य रोग बना देता हो।

प्यास लगने पर भी एक साथ अधिक जल का सेवन बना सकता है आपको रोगी: आयुर्वेद के अनुसार किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को ग्रीष्म (मई मध्य से जुलाई मध्य तक का समय) एंव शरद ऋतु (सितम्बर मध्य से नवम्बर मध्य तक का समय) में सामान्य मात्रा में तथा शेष अन्य ऋतुओं में न्यूनतम पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए। प्यास लगने पर भी एक साथ अधिक मात्रा में जल पीने की प्रवृति यदि किसी व्यक्ति की होती है तो पिया गया यह जल पित एंव कफ रोगों जैसे अपच, आलस्य, पेट का फूलना, जी मिचलना, उल्टी लगना, मुंह में पानी आना, शरीर में भारीपन और यहां तक की खांसी, जुकाम एंव श्वास के रोग को उत्पन्न करता हैं विशेषत: बुखार के रोगी को तो बहुत ही सयंम के साथ अल्प मात्रा में बार–बार गर्म पानी का ही सेवन करना चाहिए।

आधुनिक विज्ञान की पुस्तकों में आहार को लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं उपलब्ध है वहीं स्वास्थ्य संरक्षण को प्रथम प्रयोजन मानते हुए लिखे गए आयुर्वेद के ग्रन्थों में खान–पान संबधी वर्णन विस्तार से उपलब्ध है। ऐसे में लगातार गिरते स्वास्थ्य स्तर को यदि मानक माना जाये तो अब वह समय आ चुका कि हम आज के समय में प्रचलित धारणाओं को छोड़कर पुन: शास्त्रों मे निर्देशित खानपान के तौर–तरीकों को अपनाएं जिससे कि हम पुन: अपने पूर्वजो की भांति अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हुए बिमारियों से दूर रह सके।

सही विधि से लिया गया जल ही अमृत अन्यथा शरीर के लिये घातक: शास्त्रों के अनुसार जल को अकेले लिया या औषधियों से सिद्ध करके लिया जाए, उबाल कर लिया जाए अथवा शीतल लिया जाए, या सिर्फ गर्म करके लिया जाए, शरीर की अवस्था के अनुसार ऐसा विचार करके, सही मात्रा में सही समय पर सही विधि से लिया गया जल अमृत के समान गुणकारी होता है अन्यथा शरीर में विषाक्त को उत्पन्न करता है स्पश्ट है कि आयुर्वेद में गलत विधि से पिये गये जल को विष तक की संज्ञा दी गई है।

अधिक जल सेवन से शरीर में पेट के रोग, मधुमेह, रक्तचाप, एवं किडनी इत्यादि से संबधित अनेक रोग उत्पन्न हो सकते है।

आयुर्वेद के अनुसार अधिक जल सेवन से शरीर में पेट के रोग, मधुमेह, रक्तचाप, एवं किडनी इत्यादि से संबधित अनेक रोग उत्पन्न हो सकते है। अधिक जल सेवन किस प्रकार से शरीर में मधुमेह, रक्तचाप, किडनी की बीमारी इम्यादि में कारण बन सकता है और कैसे शरीर के अन्य अंगो को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है इसका 'जल–अमृत या विश'? नामक पुस्तक में आयुर्वेदिक एंव आधुनिक आधार पर विस्तार से स्पष्टीकरण दिया गया है। जल संबधित अनेकों अति महत्व की बातों का भी पुस्तक में वर्णन किया गया है।

निश्चित नही किया जा सकता प्रतिदिन जल का एक मात्रा में सेवन: किसी भी व्यक्ति के लिये प्रतिदिन कितना पानी पिया जाए यह निश्चित नहीं किया जा सकता है। यह मात्रा उस व्यक्ति द्वारा उस दिन किये गये शारीरिक परिश्रम, बाहर के वातावरण एंव शरीर की अवस्था के अनुसार प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है।

आयुर्वेद के आधार पर एक दिन में सम्यक जल सेवन विधि: मोटे तौर पर किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 1.5 से 2 लीटर तक जलीय पदार्थो का सेवन करना चाहिए। जलीय पदार्थो से तात्पर्य है– जल, दुध, जूस, चाय इत्यादि का सम्मिलित योग। वह कोई भी व्यक्ति जो 24 घंटे में कम से कम 1/2 लीटर और आदर्श स्थिति में 1 लीटर तक मूत्र त्याग करता है, तो उसके शरीर में जलीय अंश की सही मात्रा पहुंच रही है ऐसा मान सकते हैं। आंतो की शुद्धि हेतु प्रत्येक स्वस्थ्य व्यक्ति को प्रात: काल खाली पेट एक गिलास (लगभग 250–300 मिली.) गर्म पानी पीना चाहिये। भोजन को पचाने में मद्द हेतु भोजन के साथ बार– बार थोड़ा–थोड़ा करके एक कप गर्म पानी लगभग 150–200 मिली.) का सेवन करना चाहिए। भोजन के बाद–लगभग 1–2 घंटे पर प्यास ना लगने पर भी एक कप गर्म पानी (लगभग 150– 200 मिली) पीते रहना चाहिए।

प्यास लगने पर अधिकतम 200 मिली (लगभग एक छोटा गिलास) पानी सयंम के साथ पीना चाहिए। गर्म पानी या उबाल कर रखा गया (अधिकतम 24 घंटे) पानी पीना श्रेष्ठकर रहाता है। ग्रीष्म ऋतु में किसी भी व्यक्ति को संयम के साथ धीरे – धीरे , प्रत्येक बार अल्प मात्रा में थोडे –थोड़े अंतराल पर सामान्य तापमान का जल विधिपूर्वक लेकर आवश्यकतानुसार अपने शरीर का तर्पण करते हुए अपने अग्नि बल को बनाएं रखना चाहिए।

एक साथ अधिक जल का लेना किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य एंव पाचन की दृष्टि से अच्छा नही होता। बिना आवश्यकता अत्यधिक जल सेवन अपच, शुगर, उच्च रक्तचाप एंव किडनी के रोगों को बढ़ाने व उत्पन्न करने में कारण हो सकता है।

एक साथ अधिक जल के सेवन से हो सकती है अपच की शिकायत: एक साथ अधिक मात्रा में पिया गया पानी पेट अथवा छोटी आंत में पच रहे भोजन को समय से पहले ही आंतो में आगे धकेल देता है। जिससे की अपच की स्थिति पैदा हो जाती है। यह अपच ही हमारे शरीर में अनेक रोगों को कारण बनता है। गर्मियों मे भी प्यास लगने पर कम मात्रा में थोड़े –थोडे अंतराल के बाद जल का सेवन स्वास्थ्य के लिये बेहतर होता है। गर्मियों में अधिक मात्रा में पिये गये जल के कारण ही हमारी पाचक अग्नि मंद हो जाती है जिसके कारण हमें भूख नही लगती और इसके साथ ही हमें भोजन को पचाने में भी दिक्कत आती है।

सदैव उबाले हुए जल सेवन ही स्वास्थ्य के लिये हितकर: अधिक मात्रा में बिना उबले जल के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार के संक्रमण पहुंचने की संभावना बन जाती है। जल ही एकमात्र ऐसा पेय आहार है जो प्राय: अन्य खाद्य पदार्थो की भांति ना तो सेवन से पूर्व पकाया जाता है और न ही आंतो मे हमारी पाचक अग्नि द्वारा। स्पष्ट है कि अधिक मात्रा मे बिना उबले जल में यदि थोड़ी भी अशुद्धि हो तो वह शरीर में सीधे रक्त में प्रवेश कर संक्रमण में कारण बन सकता है। प्राय: उबाल देने मात्र से ही जल की अशुद्धियां खत्म हो जाती है। अत: गर्मियों में भी उबला पानी ठण्डा करके पीना स्वास्थ्य के लिये हितकर होता है।

शोध की अनूठी विशेषता: इस शोध की एक बहुत ही अनूठी विशेषता यह है कि यह शोध मानव एंव प्रकृति दोनों के लिये ही लाभकारी है। प्रस्तुत शोध के निर्देशानुसार जल का सेवन ना केवल समाज को अधिक जल पीने से होने वाले नुकसान से बचाकर स्वास्थ्य लाभ देगा, अपितु पेय जल के संकट से जूझते इस विश्व में पेय जल के संरक्षण में भी निश्चित ही मद्दगार होगा। यदि भारतवर्ष की लगभग एक चौथाई जनसंख्या अधिक मात्रा में जल सेवन के भ्रम से बाहर आते हुए मात्र एक लीटर जल प्रतिदिन कम पीती है, तो इससे हमारे देश का लगभग 500 करोड़ लीटर पीने योग्य पानी प्रतिदिन बच सकता है। ऐसा किस प्रकार होगा इससे संबधित आंकड़े का भी उल्लेखित पुस्तक में विस्तार से वर्णन किया गया है।

अधिक से अधिक जल पीने का निर्देश देने वाले चिकित्सकों से डॉ. अरोड़ा के सवाल: क्या यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी नही है कि सामूहिक रूप से स्वस्थ्य रहने के लिये अधिक से अधिक जल सेवन का फरमान जारी करते हुए हृदय से संबधित, किडनी से संबधित, पेट से संबधित, हार्मोन्स से संबधित सैंकड़ो ऐसे रोगों का भी जिक्र करें जिनमे अधिक पानी का पीया जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होता है।

कभी ऐलोपैथी तो कभी आयुर्वेद तो कभी नैचरोपैथी एंव योग से संबध रखने वाले इन जल चिकित्सकों से क्या मैं पूछ सकता हूं कि अधिक मात्रा में पिया गया जल शरीर को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? इस संबंध में क्या उनके पास कोई वैज्ञानिक आधार, कोई शास्त्रीय आधार या किसी उच्च स्तरीय शोध का आधार है।

अक्सर स्वास्थ्य लाभ हेतु अधिक से अधिक जल सेवन संबधित अपने भाषणों में सरलता से आयुर्वेद का नाम ले लेने वाले इन जल चिकित्सकों से मैं पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कभी आयुर्वेद के मूल: ग्रन्थ जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंव आचार्य वाग्भट् द्वारा रचित अष्टांग संग्रह को ठीक से स्पर्श भी किया है एंव क्या वे इन शास्त्रों में स्वास्थ्य लाभ के लिये अधिक जल सेवन को निर्देशित करती हुई एक अकेली लाईन का भी सन्दर्भ भी दे सकते हैं। यदि नही तो आयुर्वेद के नाम पर समाज में एक गलत प्रचलन फैला कर लाखों करोड़ो लोगों के स्वास्थ्य को खराब करने वाले इन जल चिकित्सकों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो।

ये जल चिकित्सक समाज को स्पष्ट करें किडनी के रोगी को ब्लड प्रैशर या हृदय से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को, प्राय: किडनी को कमजोर कर देने वाली बिमारी डायबिटिज़ के रोगी को या शरीर के किसी भी भाग में सूजन लाने वाली बिमारी से पीड़ित किसी भी रोगी को क्या सामान्य जरूरत से अधिक मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए? यदि हां तो कृप्या विस्तार से समझाएं नही तो अधिक जल का सेवन इन बिमारियों से शरीर को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। इसकी वैज्ञानिक एंव वैदिक विवेचना को आप मेरी पुस्तक ''जल – अमृत या विष'' में संबधित ग्रन्थों के संद्धर्भ सहित पढ़ सकते हैं।

गर्मियों में भी सही विधि से ही करें जल का सेवन: किसी भी व्यक्ति को अपनी शरीर की अवस्था अनुसार सही मात्रा में सही समय पर एवं सही विधि से ही जल का सेवन करना चाहिए। अब समय आ चुका है कि हम स्वास्थ्य लाभ के लिए अधिक से अधिक जल सेवन के भ्रम से बाहर आयें क्योंकि अत्यधिक मात्रा में शीघ्रता के साथ गलत समय पर लिया गया जल शरीर में अनेकों रोगों को उत्पन्न करता है। इसलिये शास्त्रो में अविधि लिये गये जल सेवन को विष तक की संज्ञा दी गई है। गर्मियों में भी समय के साथ ही विधि पूर्वक सेवन करना चाहिए। इस संबध में एक आश्चर्यजनक तथ्य पर भी गौर करें तो गर्मी की ऋतुये जैसे ग्रीष्म ऋतु में किसी भी व्यक्ति को अपेक्षाकृत कम भूख लगती है, अपच एंव अन्य बिमारियों की संभावना भी अधिक रहती है, शारीरिक बल कम रहता है तथा मनुष्य मानसिक रूप से घबराहट एंव बेचैनी को अनुभव करता है। गौर करें कि यह वह समय होता है जब कोई भी व्यक्ति अधिकतम, तेजी से एंव शीतल जल का सेवन कर रहा होता है।

इसी तरह सर्दियों की ऋतुऐं जैसे हेमन्त एंव शिशिर में किसी भी व्यक्ति को अपेक्षाकृत अधिकतम भूख लगती है, खाना भी अच्छा पचता है, बिमारियों की संभावनायें भी कम होती है, शारीरिक बल अच्छा होता है तथा मनुष्य मानसिक रूप से भी अपने को अच्छा महसूस करता है। गौर करें कि यह वह समय होता है जब कोई भी व्यक्ति कम से कम धीरे –धीरे एंव प्राय: गर्म जल का सेवन कर रहा होता है।

ऐसे में स्पष्ट है कि अच्छी भूख का लगना, भोजन का अच्छी प्रकार से पचना, अच्छे शारीरिक एंव मानसिक स्वास्थ्य का होना हमारे अग्नि बल पर निर्भर करता है जल सेवन पर नही। कहीं ऐसा तो नही कि गर्मी से प्रभावित होकर हमारे द्वारा तेजी से किसी गया अधिक जल का सेवन ही गर्मी के मौसम मे हमारी अग्नि को मंद कर देता है जिसके कारण हमें भूख कम लगती है, अपच अन्य बिमारियां हो जाती है एंव हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं।

ग्रीष्म ऋतु में किसी भी व्यक्ति को सयंम के साथ धीरे –धीरे प्रत्येक बार अल्प मात्रा में थोड़े – थोड़े अंतराल पर सामान्य तापमान का जल विधि पूर्वक लेकर आवश्यकतानुसार अपने शरीर का तर्पण करते हुए अग्नि बल को बनाये रखना चाहिए।

गर्मी के मौसम में भी पानी को बढ़ाकर न पिया जाना बिमारियों का मुख्य कारण नही: गर्मी के मौसम में सामान्यत: मिलने वाली पानी की कमी की बिमारी का मुख्य कारण प्राय: कम पानी पीना नही होता बल्कि दूषित या अविधि अधिक पानी पीने से होने वाली अपच के कारण उत्पन्न दस्त एंव उल्टी होते हैं। साथ ही सिर दर्द, गला खराब एंव जुखाम इत्यादि बिमारियां भी प्राय: तेज गर्मी से लौटकर अचानक अधिक मात्रा में शीतल जल पीने से हाती है। अत: किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर की अवस्था के अनुसार सही मात्रा में, सही समय पर एवं सही विधि से ही जल का सेवन करना चाहिए।

अभिनव पहल से खुशहाल हिमाचल की ओर

''जय राम ठाकुर''
मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश

आज हम अपने प्रिय प्रदेश हिमाचल की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को अपनी और प्रदेश सरकार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा उनके खुशहाल एवं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ। हम सब जानते हैं कि 15 अप्रैल, 1948 के शुभ दिन, 30 छोटी-बड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। मैं इस अवसर पर उन सब महान विभूतियों, विशेषकर इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, हिमाचल के निर्माता डॉ. वाई. एस. परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को एक अलग पहचान दिलाई और उसे एक सशक्त आधार प्रदान किया।

हिमाचल दिवस का यह शुभ दिन, जहां हम सब प्रदेशवासियों के लिए उत्साह और उल्लास का पर्व है, वहीं यह अवसर आत्म-विवेचन का भी है, कि 70 वर्षों की विकास यात्रा में हम कहां पहुंचे हैं और हमने क्या पाया है!

अपने अस्तित्व में आने के समय हमारा यह पहाड़ी प्रदेश, गरीबी, पिछड़ेपन तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। शिक्षा, चिकित्सा व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं शून्य के बराबर थीं। पिछड़ेपन को पहाड़ों की नियति समझा जाता था। मैं स्वयं एक दुर्गम क्षेत्र का निवासी होने के नाते, उस समय गरीबी व संसाधनों के अभाव के कारण, प्रदेशवासियों को हुई कठिनाइयों को भलीभांति समझ सकता हूँ।

लगभग नगण्य से अपनी विकास यात्रा आरम्भ कर, हिमाचल प्रदेश ने, न केवल पहाड़ी राज्यों, अपितु देश के अन्य राज्यों के लिए भी विकास का एक आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद तथा साक्षरता दर विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि इत्यादि विकास के ऐसे सूचकांक हैं, जिनमें प्रदेश के विकास की बहुरंगी तस्वीर स्पष्ट झलकती है। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के समय, प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपये थी जो अब बढ़कर 1,58,462 रुपये हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद 26 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,35,914 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रदेश की इस शानदार विकास यात्रा के लिए, मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ क्योंकि उनके सक्रिय सहयोग व भागीदारी से ही, इस प्रदेश का समग्र विकास सम्भव हो पाया है। प्रदेश की जनता पर हमें गर्व है। विधानसभा चुनाव-2017 में हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमानी एवं कर्मठ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सेवा का दायित्व सौंपा है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। मैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे सरकार का नेतृत्व करने के योग्य समझा और मुझे यह जिम्मेदारी दी।

प्रदेशवासियों की सेवा हमारे लिए एक साधना है और मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके हित हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारी सरकार पूरी निष्ठा और समर्पण की भावना से कार्य कर रही है और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलते हुए, एक टीम की तरह पूरी लगन से जनता की सेवा में तत्पर है। सत्ता की बागडोर संभालते ही, प्रदेश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र-2017' को सरकार का नीति दस्तावेज़ बनाने का अहम् निर्णय लिया। वर्तमान सरकार ने विकास नीतियों को लागू करने के लिए, इसी 'दृष्टिपत्र' को अपना मार्गदर्शक अभिलेख बनाया है ताकि जन-प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध ढ़ंग से पूरा किया जा सके।

वरिष्ठ नागरिक, समाज का एक संवेदनशील अंग हैं, उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें अन्य कोई पेंशन प्राप्त न हो रही हो, की वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को, बिना किसी आय सीमा के, 80 से घटाकर 70 वर्ष किया है। इस निर्णय से 1.30 लाख वृद्ध लाभान्वित हुए हैं। हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 32,808 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान करने के अतिरिक्त पहली अप्रैल से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 750 रुपये मासिक किया है, जिससे 4,46,805 पात्र व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

हमारी सरकार ने जब शासन संभाला, उस समय प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार और असुरक्षा का माहौल था। हमारी सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए ताकि लोगों के मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा की जा सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ 'गुड़िया हेल्पलाइन' 1515 तथा 'शक्ति बटन ऐप' का शुभारम्भ किया गया ताकि किसी भी संकट की स्थिति में महिलाएं इनके माध्यम से तुरन्त पुलिस तक सूचना पहुंचा सकें।

भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में वन माफिया, खनन माफिया तथा ड्रग माफिया के विरुद्ध कड़ाई से निपटने के लिए 'होशियार सिंह' हेल्पलाइन-1090 आरम्भ की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय चौबीस घण्टे इसकी निगरानी कर रहा है।

सेवा और सुशासन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। कल्याणकारी योजनाओं को सक्रियता से लागू करने तथा प्रगति की निरन्तर समीक्षा करने के उद्देश्य से हमने 'मुख्यमंत्री डैशबोर्ड' आरम्भ किया है। महत्वपूर्ण विभागों में 'ऑनलाइन सेवाएं' आरम्भ की गई हैं, ताकि लोगों को संवेदनशील, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन उपलब्ध कराया जा सके।

हमारी सरकार समयबद्धता और सुशासन की कार्य संस्कृति कायम करना चाहती है ताकि कम से कम समय में विकास के अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंच सकें। हमने सत्ता में आते ही, सरकारी तंत्र को सक्रिय करने तथा निर्धारित समय सीमा में योजनाओं को पूरा करने लिए सभी विभागों को 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को 'लीक से हटकर' तथा नई व नव प्रवर्तनशील योजनाएं तैयार करने के प्रति प्रेरित किया गया। मुझे खुशी है कि विभागों के स्तर पर इस दिशा में समर्पण और सहयोग की भावना के साथ कार्य हुआ तथा एक बेहतर कार्य संस्कृति का माहौल तैयार हुआ।

वर्तमान सरकार जन प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से योजनाओं को कार्यरूप दे रही है ताकि इन योजनाओं को व्यावहारिक बनाया जा सके और व्यापक रूप से जनहित को साधा जा सके।

हमने इस वर्ष के लिए 6300 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना तैयार की है जो पिछली योजना के मुकाबले 10.51 प्रतिशत अर्थात् 600 करोड़ रुपये अधिक है।

हमारी सरकार युवाओं की क्षमता में वृद्धि, कमज़ोर वर्गों के उत्थान, किसानों की समृद्धि व महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील है। लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था और आजीविका के नए अवसरों के सृजन पर विशेष बल दे रही है।

मुझे 9 मार्च, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपना पहला बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इस बजट में हमने भारतीय जनता पार्टी के 'दृष्टिपत्र' में उल्लेखित अधिकांश वायदों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है ताकि जन आकांक्षाओं को योजनाबद्ध ढ़ंग से पूरा किया जा सके। हमने बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए 30 नई योजनाएं प्रस्तावित की हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

सरकार संभालने पर हमने यह महसूस किया कि प्रदेश में अनेक छोटी-बड़ी परियोजनाएं अधर में लटकी पड़ी हैं। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। हमने पहल करके इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाया और इन्हें पूरा किया। 61 ऐसी पेयजल योजनाओं, जिनका 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूरा हो चुका था को अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाकर पूरा किया गया। इससे 630 बस्तियों के लगभग एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

हमने जल संरक्षण के लिए 475.24 करोड़ रुपये की एक परियोजना वित्त पोषण हेतु भारत सरकार को प्रेषित की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000 से पूर्व प्रदेश में बनी पेयजल योजनाओं के सुधार के उद्देश्य से 798 करोड़ रुपये की एक अन्य योजना भी केन्द्र सरकार को भेजी गई है।

इसी प्रकार, हमने सड़कों की तुरन्त मुरम्मत व टारिंग के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की। सड़क निर्माण के लिए 123 डी.पी.आर. तैयार की गईं। इस दौरान 213 सड़क कार्य आबंटित भी किए गए।

पर्यटन और जल विद्युत दोहन सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशक विशेष रूचि नहीं दिखा रहे थे। प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार ने 69 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए परन्तु उनकी डी.पी.आर. तक नहीं बनाई गई थी।

हमने इन बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और तेजी से कार्य आरम्भ किए। राष्ट्रीय उच्च मार्गों के लिए 43 परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने के लिए पत्र जारी किए गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का, इस प्रदेश के लोगों के प्रति विशेष लगाव व स्नेह रहा है। यही कारण है कि मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार ने इस प्रदेश को, न केवल बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, बल्कि विकास के अनेक क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया है ताकि प्रदेश के विकास में धन की कमी आड़े न आए। केन्द्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं 90:10 के आधार पर स्वीकृत की हैं।

राज्य में कृषि क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये की लागत की फसल विविधीकरण योजना का द्वितीय चरण आरम्भ किया जा रहा है। इसी प्रकार 800 करोड़ रुपये की वन प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना चलाई जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं के लिए जापान की अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जिका) द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।

प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास एवं रोज़गार सृजन के लिए 640 करोड़ रुपये की परियोजना कार्यान्वित की जाएगी, जिसके लिए हाल ही में भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक तथा हिमाचल सरकार द्वारा समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 65 हजार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल मानकों के अनुसार रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने नई योजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'नई राहें-नई मंजिलें' नामक 50 करोड़ रुपये की योजना आरम्भ की जा रही है ताकि पर्यटन के अनछुए क्षेत्रों में भी पर्यटन गतिविधियां आरम्भ की जा सकें। प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए उड़ान-2 के तहत् 5 नए हेलीपैड के निर्माण की संभावनाओं के लिए सर्वेक्षण करवाया जा चुका है।

युवाओं एवं महिलाओं का स्वावलम्बन एवं सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। हमने इस दिशा में प्रयास आरम्भ कर दिए हैं। कौशल विकास कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कारगर ढ़ंग से लागू करने की योजना है। सभी रोज़गार केन्द्रों को कौशल पहचान केन्द्र एवं आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, इससे युवाओं को रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। हमने इस अवधि में 4,101 नए अभ्यर्थियों को कौशल विकास भत्ता तथा 1737 युवाओं को बेरोज़गार भत्ता प्रदान किया है।

हमारा प्रयास है कि कौशलयुक्त युवाओं को रोज़गार मेलों तथा शिक्षण परिसरों में साक्षात्कार के माध्यम से रोज़गार प्रदान करवाए जाएं। इस छोटी-सी अवधि में ही ऐसे रोज़गार मेलों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों को रोज़गार प्राप्त हुआ। शिक्षा विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप पहली बार विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे 138 विद्यार्थियों को भी नियुक्ति मिली है।

युवाओं को स्वरोज़गार अपनाने के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन' तथा 'मुख्यमंत्री युवा आजीविका' नामक दो नई योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं जिनके तहत् उन्हें उद्यम आरम्भ करने के लिए निवेश पर विशेष उपदान देने की व्यवस्था की गई है।

हमारा यह प्रयास है कि हर घर में रसोई गैस हो ताकि गृहणियों को लकड़ी आदि पर खाना पकाने से छुटकारा मिल सके। इससे ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठा करने से बचा जा सकेगा, समय की बचत होगी, गृहणियों के स्वास्थ्य की रक्षा होगी तथा पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। इसके लिए हम 'हिमाचल गृहिणी सुविधा' नामक योजना आरम्भ करने जा रहे हैं। इस योजना में उन परिवारों की गृहिणियों को रसोई गैस सिलेण्डरों की जमा राशि तथा गैस चूल्हे के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी जो केन्द्र सरकार की 'उज्ज्वला योजना' में शामिल नहीं हैं। हमारा लक्ष्य आगामी दो वर्षों में सभी परिवारों को रसोई गैस सुविधा प्रदान करने का है।

शिक्षा व स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। गुणात्मक शिक्षा पर हमारा विशेष बल रहेगा। हमने इस दिशा में कदम उठाने आरम्भ कर दिए हैं। 'मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र' नामक योजना आरम्भ की जा रही है, जिसके तहत् चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां नवोदय विद्यालय अथवा एकलव्य विद्यालय नहीं हैं, वहां पर छात्रावास सुविधाओं सहित आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए इस अवधि में चिकित्सकों के 262 पद भरे गए हैं तथा पैरामेडिकल के 2000 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। आयुर्वेद विभाग में 200 चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। जरुरतमंद लोगों के लिए आईजीएमसी, शिमला में रात-दिन 330 दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राज्य में मुख्यमंत्री आशीर्वाद नामक नई योजना आरम्भ की जा रही है, जिसके तहत चिकित्सा संस्थान में प्रसव कराने पर दी जाने वाली 700 रुपये की राशि के अतिरिक्त अस्पताल में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को 1500 रुपये की एक किट उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व को समझते हुए, हमने स्वास्थ्य में सहभागिता नाम की एक नई योजना आरम्भ करने की घोषणा की है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपये के निवेश पर 25 प्रतिशत निवेश उपदान देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि व बागवानी का विशेष योगदान है। प्रदेश सरकार ने कृषि गतिविधियों में विविधता लाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और शून्य लागत की प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। शून्य लागत की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से 'प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान' नामक नई योजना लागू की जा रही है। हमने आगामी पांच वर्षों में हिमाचल को 'जैविक कृषि' राज्य बनाने की परिकल्पना की है।

प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कृतसंकल्प है। सरकारी भूमि को गौ-सदन स्थापित करने के लिये एक रुपये पट्टे पर दिया जाएगा ताकि प्रदेश में और स्वयं सेवी संस्थाएं इस पुनीत कार्य के लिये आगे आएं।

बागवानी क्षेत्र में भी अनेक सुधार आरम्भ किए गए हैं। इस वर्ष इन कार्यों पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। न्यूज़ीलैंड के विशेषज्ञों द्वारा बागवानी क्षेत्र में तकनीकी सहयोग हेतु अनुबंध किया गया है।

हमने प्रदेश में संसाधन सृजन को ध्यान में रखते हुए, नई जल विद्युत् और खनन नीति लागू करने का निर्णय लिया है। खनन नीति को और कारगर बनाकर अवैध खनन पर सख्त दंड देने का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में एकल खिड़की के माध्यम से निवेशकों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करने का अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। अभी हाल ही में 456.43 करोड़ रुपये के निवेश की 17 औद्योगिक इकाइयां स्वीकृत की गई हैं जिनमें 1610 लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। 2001 मैगावाट क्षमता की 31 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में इलेक्ट्रिक टैक्सियां व इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। प्रदेश में पहली बार पर्यावरण गांव स्थापित करने की योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत् प्रथम चरण में पांच गांव चयनित किए गए हैं। इन इको गांवों में 50-50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में कर्मचारियों का विशेष योगदान रहता है। हमने कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ते तथा अंतरिम राहत के रूप में इस अल्प अवधि में ही 960 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ प्रदान किए हैं। हमने अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया है। यह सुविधा दैनिक भोगी एवं अंशकालिक महिला कर्मचारियों को भी उपलब्ध करवाने के आदेश कर दिए हैं।

हाल ही में नूरपुर के निकट जो बस दुर्घटना हुई है उससे हम सभी व्यथित और द्रवित हैं। इस हादसे में 27 बहुमूल्य जानें चली गई, जिनमें 23 स्कूली बच्चे थे। इसका हम सभी को अत्यन्त दुःख है। दुःख की इस घड़ी में हम प्रभावित परिवारों के साथ हैं। ऐसी घटनाएं न हो इसके प्रति हम संजिदा हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों, सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों द्वारा मातृभूमि की रक्षा और गौरव के लिए दिए गए योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। मैं अपने इन वीर सेनानियों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता हूँ। हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को अनुमोदिक सैन्य सेवा के लिए मिलने वाले वित्तीय लाभों को बहाल किया है। सेना में शहीदों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर रोज़गार दिया जाता है, इसी तर्ज पर अब यह लाभ अर्धसैनिक बलों में हिमाचली शहीदों के आश्रितों को भी दिया जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेलों में प्रदेश के अनेक खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है और मेडल जीते हैं, जिस पर हमें गर्व है।

हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है। हम विकास की राह पर सबको साथ लेकर सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। हमारा लक्ष्य हिमाचल को एक शीर्ष और श्रेष्ठ राज्य बनाना है। हिमाचल दिवस के अवसर पर आइए, हम सब एक बार पुनः देश व प्रदेश सेवा का संकल्प लें।

71वें हिमाचल दिवस

के पावन अवसर पर

प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई

प्यारे प्रदेशवासियो,

हमने संकल्प लिया, प्रदेश के हर ज़िले, हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति तक कल्याणकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लाभ पहुँचाने का । अटल विश्वास, नेक इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम, 'सबका साथ–सबका विकास' मूल मंत्र अपनाकर, ध्येय पथ पर आगे बढ़े । प्रदेश में अभिनव कार्य संस्कृति का जन्म हुआ, जिसके लिए आप सभी प्रदेशवासी बधाई के पात्र हैं ।

हमें विश्वास है कि हिमाचल को उन्नति और खुशहाली के शिखर पर ले जाने के लिए सदैव आप का सहयोग मिलता रहेगा ।

पुनः हिमाचल दिवस की हार्दिक मंगलकामनाएँ ।

जय राम ठाकुर
मुख्य मंत्री

हिमाचल सरकार का प्रयास : सबका साथ – सबका विकास

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाज़ार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सरकार अपने ही संगठन द्वारा लगाये आरोपों की प्रमाणिकता पर शंकित क्यों

शिमला/शैल। भाजपा ने इस बार के विधानसभा चुनावों के दौरान तब सत्तारूढ़ वीरभद्र सरकार के खिलाफ ''हिसाब मांगे हिमाचल'' अभियान छेड़कर न केवल सरकार में फैले भ्रष्टाचार को ही केन्द्रिय बहस

में लाकर खड़ा कर दिया था बल्कि सरकार को भ्रष्टाचार का पर्याय चित्रित कर दिया था। क्योंकि इस हिसाब मांगने के अभियान से पहले भी भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करती रही है। एक आरोप पत्र तो वाकायदा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा गया था और इसकी जांच सीबीआई द्वारा करवाने की मांग की गयी थी। प्रदेश विधानसभा के सत्र में भी यह मांग दोहरायी गयी थी। इससे जहां उस समय भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में सफल रही वहीं पर आम आदमी का विश्वास जीतने में भी कामयाब रही। इसी प्रदर्शन और विश्वास की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में सफल भी रही।

लेकिन अब जब भाजपा की दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बन गयी है। तब भ्रष्टचार के मुद्दे पर कथनी और करनी में अन्तर दिखने लगा है क्योंकि सरकार ने अपने ही संगठन द्वारा सौंपे आरोप पत्र पर संबद्ध विभागों से उनकी राय मांगी है। स्वभाविक है कि कोई भी स्वयं क्यों स्वीकार करेगा कि उसके यहां भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर तो विजिलैन्स भी गुप्त तरीके से प्रारम्भिक जांच करके आरोप से जुड़े कुछ साक्ष्य जुटाकर फिर मामले में आगे बढ़ते हुए एफआईआर दर्ज की जाती है। यदि आरोप के साथ उससे जुड़े दस्तावेजी प्रमाण साथ सलंग्न हो तो सीधे एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब जब सरकार ने इन आरोपों पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट लेने के बाद इन पर अगली कारवाई तय करने का फैसला लिया है तो इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि सरकार को अपने ही संगठन द्वारा लगाये गये आरोपों की प्रमाणिकता पर भरोसा नही है। इससे यह भी सामने आता है कि राजनीतिक दल केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिये ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं इन पर ईमानदारी से कारवाई करने की इनकी कोई मंशा नहीं होती है। 2007 से 2012 के शासनकाल में भी जब भाजपा सत्ता पर काविज थी तब भी भाजपा सरकार ने अपने ही आरोप पत्रों पर कोई कारवाई नहीं की थी।

इस बार अभी सरकार को सत्ता में आये केवल तीन माह का ही समय हुआ है इस नाते यह कहा जा सकता है कि इतनी जल्दी नतीजे पर नही पहुंचा जा सकता। लेकिन इसी तीन माह के समय में सरकार ने जो कुछ बड़े फैसले लिये है। उनसे अल्प समय का तर्क स्वयं ही हल्का पड़ जाता है। सरकार ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की पहल दी गयी अनुमति को वापिस लेने का फैसला लिया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने नन्दन पासवान बनाम स्टेट ऑफ बिहार में 20 दिसम्बर 1986 और बैराम मुरलीधर बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में 31 जुलाई 2014 तथा एम सीमोनज़ बनाम स्टेट ऑफ आंध्र में 5 फरवरी 2015 को स्पष्ट कहा है कि एक बार दी गयी अनुमति पर न तो पुन: विचार किया जा सकता हैं और न ही उसे वापिस लिया जा सकता है। उच्चस्थ सुत्रों के मुताबिक प्रदेश के विधि विभाग ने भी इस संबध में सरकार को यही राय दी थी। लेकिन सरकार ने राय पसन्द न आने के बाद शायद सचिव विधि को ही बदल दिया। यही नहीं अब जब सरकार सचेतकों को मन्त्री का दर्जा देने का विधेयक लेकर आयी तब भी इस पर विधि विभाग की राय नकारात्मक रही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब सरकार विधि विभाग की राय को भी अनदेखा करके फैसले ले रही है तो सीधा है कि एक ऐजैण्डे के तहत सरकार में सबकुछ हो रहा है। इन मामलों पर अदालत क्या रूख लेगी और सरकारी वकील अदालत में क्या प्रार्थना रखते हैं यह तो आने वाले समय में ही खुलासा हो पायेगा। लेकिन इसी के साथ यह सवाल भी खड़ा होगा कि यदि सरकार सही में इन मामलों को राजनीतिक द्वेष से बनाये गये मामले मानती है तो ऐसे मामले बनाने वालों के खिलाफ सरकार को कारवाई भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यदि सरकार का अदालत में कोई मामला फेल होता है तो उसके लिये किसी की जिम्मेदारी तय करके उसके खिलाफ कारवाई की जानी चाहिये। क्योंकि जो मामले वापिस लिये जाने के प्रयास से किये जा रहे हैं उनके चालानों में इतने गंभीर आरोप हैं कि इसमें या तो आरोपीयों या फिर मामलें बनाने वालों के खिलाफ कारवाई होना तय है। इन मामलों का हल्के से लेना सरकार के लिये आसान नही होगा।

इसी परिदृश्य में जिस बीवरेज कारपोरेशन मामले पर कारवाई का फैसला मन्त्रीमण्डल की पहली ही बैठक में लिया गया था वह अब तक विजिलैन्स में नही पहुंचा है। जबकि इस मामले में भाजपा करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा चुकी है। इस आरोप पर तब तक जांच संभव नहीं है जब तक कि इस पर विजिलैंस में विधिवत रूप से मामला दर्ज नही हो जाता है। लेकिन चर्चा है कि अधिकारी इसमें विजिलैंस में जाने से पहले प्रशासनिक स्तर पर जांच करने का मन बनाये हुए है।

क्योंकि इस प्रकरण की जांच बीवरेज कारपोरेशन के एम. डी. और चैयरमैन से ही शुरू होगी और यह दोनो ही पद सरकार के अधिकारियों के पास ही थे। आज यह अधिकारी जयराम सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बैठे हुए हैं इसलिये यह आशंका उभर रही है कि इन अधिकारियों को बचाने के लिये ही प्रशासनिक जांच प्रस्तावित की जा रही है। यही स्थिति धर्मशाला के भूमिगत कूड़ादानों की जांच के संद्धर्भ में भी हो रही है। यही नहीं कसौली के होटलों में हुये अवैध निर्माणों के लिये एनजीटी ने टीसीपी और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कारवाई की जाने की अनुशंसा की थी उस पर भी आज तक मुख्यसचिव कोई कारवाई नहीं कर पाये हैं।

यह सारे मामले कभी -न-कभी भाजपा के आरोप पत्रों के मुद्दे रह चुके हैं। भ्रष्टाचार के यह मामले प्रदेश के आम आदमी की जानकारी में हैं इसीलिये आम आदमी को भाजपा की इस नई सरकार से यह उम्मीद थी कि शायद वह किसी भी तरह के राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है और इन मामलों में गंभीरता से कारवाई अमल में ला पायेगी लेकिन अब जब अपने ही आरोप पत्र पर सम्बधित विभागों से राय लेने की बात की जा रही है तब आम आदमी का सरकार पर से विश्वास उठना स्वभाविक है। माना जा रहा है कि कालान्तर में सरकार को इसकी भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

क्या बिन्दल नयी खिचड़ी डालने जा रहे है

शिमला/शैल। क्या विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल की बैठक में भाग ले सकता है यह सवाल प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि पिछले दिनों मण्डी में हुई भाजपा की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिन्दल शामिल हुए थे। भाजपा की यह बैठक अगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय करने को लेकर हुई थी। इस बैठक में भाग लेने वालों को बैठक में अपने मोबाईल फोन तक नही ले जाने दिये गये थे और इसी से इसकी अहमियत का पता चल जाता है। ऐसे में इस बैठक में भाग लेने वाला व्यक्ति कैसे और कितना निष्पक्ष हो सकता है यह सवाल उठना स्वभाविक है। डा. राजीव बिन्दल इस प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं। यह ठीक है कि विधानसभा में भाजपा का बहुमत है और इसीलिये उसकी सरकार है। इसी बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनो पदों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन जब कोई विधायक अध्यक्ष चुन लिया जाता है तब उसे दलीय स्थिति से ऊपर का व्यक्ति माना जाता है। सदन में वह सभी दलों का एक बराबर संरक्षक माना जाता है।

संसदीय लोकतन्त्र में प्रथा है कि जब कोई सदन का अध्यक्ष बन जाता है तब वह उस पार्टी में जिसका वह सदस्य होता है उसके विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेता है। यह रिवायत है कि सदन का अध्यक्ष अपने दल की राजनीतिक बैठकों में भी भाग नहीं लेता है। केन्द्र से लेकर राज्यों तक सभी इस प्रथा की अनुपालना करते आये हैं। हिमाचल में भी आज से पहले किसी भी विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरह से अपने दल की बैठकों में भाग नही लिया है। जिस तरह से राजीव बिन्दल कर रहे हैं। चर्चा है कि अभी सात अप्रैल को सोलन अदालत में उनके केस की पेशी थी। इस पेशी में वह

अदालत में हाजिर रहे क्योंकि पिछली पेशी में वह नही आये थे। तब उनके वकील ने उन्हे पेशी से छूट दिये जाने की अदालत से गुहार लगायी थी क्योंकि वह अब विधानसभा अध्यक्ष बन गये हैं। लेकिन अदालत ने वकील के आग्रह को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं उन्हे पेशी से छूट नही दी जा सकती है। इसलिये वह पेशी पर अदालत में हाजिर रहे।

लेकिन जब पेशी खत्म हुई उसके बाद पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल हो गये। उस समय भी उनके शामिल होने पर पार्टी के ही कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया था। अब भाजपा की मण्डी में हुई बैठक में शामिल होने को लेकर तो कई राजनीतिक लोगों ने सवाल उठाये हैं। विधानसभा में भी विपक्ष को उनसे यह शिकायत रही है कि भाजपा के बदले कांग्रेस को कम समय दे रहे हैं। अब पार्टी की कोर बैठक में शामिल होना सार्वजनिक रूप से बाहर आ चुका है और इससे उनकी अध्यक्षीय निष्पक्षता पर स्वभाविक रूप से ही सवाल उठेंगे। इस पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है और न ही स्वयं बिन्दल की ओर से कोई ब्यान आया है। जबकि इस आचरण के सार्वजनिक रूप से बाहर आ जाने के बाद अगले सदन में इसे चर्चा का विषय बन जाने की संभावना से भी इन्कार नही किया जा सकता है। क्योंकि बजट सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से अध्यक्ष पर यदा-कदा पक्षपात का आरोप लगता रहा है। भले ही उस समय इस आरोप को राजनीतिक मानते हुए अधिमान न दिया गया हो लेकिन अब बिन्दल के पार्टी की इन बैठकों में भाग लेने से स्थिति बदल गयी है और उनकी निष्पक्षता पूरी तरह सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है।

इस समय भाजपा के अन्दर जिस तरह से सचेतकों को मन्त्री का दर्जा दिये जाने की कवायद से विधायकों के सम्भावित राजनीतिक रोष साधने का प्रयास किया जा रहा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी के अन्दर ''सबकुछ ठीक ही है'' की स्थिति नहीं है। यह भी सब जानते है कि बिन्दल विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिये ज्यादा उत्साहित नहीं थे क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता मन्त्री बनना थी। मन्त्री न बन पाने की टीस विधानसभा में भी कई बार अपरोक्षत: मुखरित होकर सामने आती रही है। उपर से पुराना केस अभी तक लम्बित चल रहा है इसमें माना जा रहा है कि वर्ष के अन्त तक फैसले की घडी आ जायेगी। बहुत लोगों को यह आशंका है कि कहीं इसमें भी कांग्रेस की आशा कुमारी जैसी ही स्थिति न खड़ी हो जाये क्योंकि धूमल शासन में इस मामले को चलाने की अनुमति नहीं दी गयी थी लेकिन बाद में अदालत में यह अनुमति न दिया जाना किसी काम नहीं आ सका था। इसी कारण से यह मामला अब तक चलता आ रहा है और फैसले के कगार पर पहुंचने वाला है।